



FII का भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स में नविश

प्रलिस के लयि:

[भारतीय रज़िरव बैंक \(RBI\)](#), [वदिशी संसथागत नविशक](#), [सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड](#), [भारतीय परतभित और वनियमि बोरड](#), [वैधानकि तरलता अनुपात](#), [नयितरक और महालेखा परीकषक](#)

मेन्स के लयि:

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड, ग्रीन बॉण्ड की सथति, ग्रीन फाइनेंस पहल ।

[स्रोत: द हदि](#)

चर्चा में क्यौं?

[सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड \(SGrBs\)](#) भारत की नमिन-कारबन अर्थव्यवस्था के लयि वतितपोषण का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं, इसके लयि हाल ही में [भारतीय रज़िरव बैंक \(RBI\)](#) ने [अंतरराष्ट्रीय वतित्तीय सेवा केंद्र \(IFSC\)](#) के अंतगत कार्य करने वाले [वदिशी संसथागत नविशकों \(FII\)](#) को नविश करने की अनुमति देने का नरिणय लयिा है जो इस दशिा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है ।

नोट:

- FII संसथागत नविशक हैं जो अपने संगठन के स्थान से भन्नि देश की परसिपत्तियों में नविश करते हैं ।
- [भारतीय परतभित और वनियमि बोरड \(SEBI\)](#) देश में FII नविश को नयितरति करता है, जबकि RBI, FII भागीदारी को नयितरण में रखने के लयि नविश सीमा को बनाए रखता है ।

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (SGrBs) क्या हैं?

- परचिय:
 - [केंद्रीय बजट 2022-23](#) में वतित मंत्री ने [SGrBs](#) जारी करने की घोषणा की, यह एक प्रकार का सरकारी ऋण है जसिसे वशिष रूप से [न्यून कारबन अर्थव्यवस्था में भारत की परयोजनाओं को वतितपोषति](#) कयिा जाता है ।
 - SGrBs के माध्यम से एकतरति की गई धनराशा वशिष रूप से [हरति परयोजनाओं](#) के लयि नरिधारति की जाती है, जसिसे फंड के उपयोग में पारदर्शति एवं जवाबदेही सुनश्चिति होती है ।
 - SGrBs आमतौर पर [सरकारी-परतभित्तियों \(G-Secs\)](#) की तुलना में [कम ब्याज दरों को प्रस्तुत](#) करते हैं, जो सतत् विकास उद्देश्यों के साथ उनके संरेखण को दर्शाता है ।
 - SGrBs जारी करने हेतु वतितपोषति परयोजनाओं की वशिषसनीयता सुनश्चिति करने के लयि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हरति मानकों एवं प्रमाणन प्रक्रयिओं का पालन करना आवश्यक है ।
- वर्गीकरण:
 - SGrB को [वैधानकि तरलता अनुपात \(SLR\)](#) के तहत वर्गीकृत कयिा गया है, जो वतित्तीय संस्थानों के लयि RBI द्वारा नरिधारति तरलता दर है ।
 - वतित्तीय संस्थानों को ग्राहकों को ऋण देने से पहले SLR अपने पास रखना चाहयि, जसिसे अन्य उद्देश्यों हेतु धन की उपलब्धता प्रभावति होती है ।
- ग्रीनयिम:
 - चूँकि SGB आमतौर पर पारंपरिक G-सेक की तुलना में न्यूनतम ब्याज दरें प्रदान करते हैं, [SGrB और G-सेक के बीच ब्याज दरों के अंतर को ग्रीनयिम कहा जाता है](#) ।
 - वैश्वकि स्तर पर केंद्रीय बैंक और सरकारें हरति भवषिय में परविरतन का समर्थन करने के लयि ग्रीनयिम को अपनाने को

प्रोत्साहति करती हैं।

■ साँवरेन गरीन बॉण्ड फरेमवरकः

- वतित मंत्रालय ने **वर्ष 2022 में भारत का पहला SGrB फरेमवरक** जारी कया, जसिमें इस प्रकार की परयोजनाओं का ववरण दया गया, जनिहें इस वर्ग के बॉण्ड के माध्यम से धन प्रापूत होगा।
- वतितपोषति परयोजनाएँ:
 - फंड को नौ हरति परयोजना श्रेणयिों की ओर नरिदेशति कया जाएगा: जसिमें **नवीकरणीय ऊर्जा**, ऊर्जा दकषता, स्वचछ परविहन, जलवायु अनुकूलन, **सतत् जल प्रबंधन**, प्रदूषण नयितरण, सतत् भूमिउपयोग, **हरति भवन** और जैववविधिता संरक्षण शामिल हैं।
 - **बहषिकृत परयोजनाएँ:**
 - **जीवाशम ईंधन** नषिकरण, **परमाणु ऊर्जा उत्पादन** और प्रत्यक्ष अपशषिट दहन से जुडी परयोजनाएँ। इसके अतरिकित शराब, हथयार, **तंबाकू**, जुआ या पाम ऑयल उद्योगों से संबंधति परयोजनाओं को भी पृथक रखा गया है।
 - इसके अतरिकित संरक्षति कषेत्रों से **बायोमास का उपयोग करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा** परयोजनाएँ, लैंडफलि परयोजनाएँ और **25 मेगावाट से बडे जलवदियुत संयंत्र पातर नहीं हैं**।
 - भारत सरकार ने वशिवसनीयता बढ़ाने के लयि **नॉर्वे स्थति वैलडिटर ससिरो** से मान्यता की मांग की है। ससिरो ने **अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाज़ार संघ (ICMA)** दवारा नरिधारति वैश्वकि हरति मानकों के साथ संरेखण दर्शाते हुए "सुशासन" के स्कोर के साथ भारतीय ढाँचे का "हरति माध्यम" के रूप में मूल्यांकन कया।

■ SGrB की वशिषताएँ:

- **इन्हें समान मूल्य नीलामी** (एक सार्वजनकि वकिरय जहाँ एक ही कीमत पर समान वस्तुओं की एक नश्चति संख्या बेची जाती है) के माध्यम से जारी कया जाता है।
- **पुनरखरीद लेन-देन (रेपो)** के लयि पातर।
- SLR परयोजनाओं के लयि पातर नविश के रूप में गनिती।
- द्वतीयक बाज़ार में व्यापार के लयि पातर।

■ प्रबंधन:

- साँवरेन गरीन बॉण्ड आय को **भारत के समेकति कोष** में जमा कया जाएगा और वतित मंत्रालय के सार्वजनकि ऋण प्रबंधन सेल दवारा प्रबंधति कया जाएगा।
- हरति बॉण्ड के आवंटन और उपयोग का ऑडिट **भारत के नयितरक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** दवारा कया जाएगा।

■ लाभ:

- भारतीय हरति बॉण्ड न केवल स्थरिता लक्ष्यों का समर्थन करते हैं बल्कि नविशकों को आकर्षति करके और केंद्रीय बैंक के भीतर नधि बढ़ाकर **भारतीय मुद्रा को भी मज़बूत** करते हैं।
- सामाजकि रूप से जमिंदार नविश की बढ़ती मांग और हरति बॉण्ड की सीमति **आपूर्तिउनकी कीमत और उपज बढ़ा सकती है**।

हरति बॉण्ड में FII का नविश भारत के हरति संक्रमण को कैसे बढ़ावा देता है?

- भारत की हरति परयोजनाओं में नविश करने वाले FII देश के महत्तवाकांक्षी **2070 शुद्ध शून्य लक्ष्यों** को वतितपोषति करने के लयि पूंजी पूल का वसितार करते हैं, जसिका लक्ष्य **भारत की 50% ऊर्जा गैर-जीवाशम ईंधन स्रोतों** से प्रापूत करना और देश की कारबन तीव्रता को 45% तक कम करना, जैसा कि ग्लोसगो 2021 में **संयुक्त राष्ट्र जलवायु परविरतन सम्मेलन (COP 26)** में वादा कया गया था।
- FII फंडगि का एक वैकल्पकि स्रोत प्रदान करते हैं, घरेलू उधारदाताओं पर दबाव कम करते हैं और अन्य उपयोगों के लयि पूंजी मुक्त करते हैं।
- वदिशी नविशकों के हालिया समावेश ने **भारत के SGrB के लयि संभावति नविशकों के पूल का वसितार** कया है, जसिसे संभावति हरति परयोजनाओं के लयि अधकि नधि प्रापूत हो रही है, जसिका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के **कारबन फुटप्रिंट** को कम करना है तथा भारत के **सतत् वकिस लक्ष्यों** में योगदान देना है।
 - सरकार का लक्ष्य वतित वर्ष 2024 में SGrB के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए जुटाना है और वतित वर्ष 2025 के पहले छह महीनों में 12,000 करोड़ रुपए उधार लेने की योजना है।
- वदिशी नविशक हरति प्रौद्योगकियिों और परयोजना प्रबंधन में बहुमूल्य ज्ञान एवं अनुभव प्रदान कर भारतीय हरति बुनयादी ढाँचा परयोजनाओं को लाभ पहुँचा सकता है।

SGrB के संबंध में भारत की क्या चुनौतियि हैं?

■ हरति वर्गीकरण का अभाव:

- कसिी नविश की पर्यावरणीय साख का आकलन करने के लयि हरति वर्गीकरण या मानकीकृत पद्धतिका अभाव एक चुनौती उत्पन्न करता है।
 - स्पष्ट मानदंडों के बनिा **गरीनवॉशगि** का जोखमि होता है, जहाँ परयोजनाएँ फंडगि सुरक्षति करने के लयि पर्यावरण के अनुकूल होने का झूठा दावा करती हैं।

■ रूपरेखा का कार्यान्वयन:

- वतित मंत्रालय ने भारत की पहली SGrB रूपरेखा जारी की, इसका कार्यान्वयन और प्रवर्तन संकटपूर्ण बना हुआ है।
- यह सुनश्चति करना कवतितपोषति परयोजनाएँ परभाषति मानदंडों के अनुरूप हों और पर्यावरणीय स्थरिता में योगदान दें, इसके लयि मज़बूत नगिरानी एवं मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता होती है।

■ परयोजना चयन और प्रभाव:

- वशिवसनीय ऑडिट टरेल्स और उच्च प्रभाव वाली नई हरति परयोजनाओं की पहचान करना SGrB आय की इष्टतम प्रापूतिके लयि

महत्त्वपूर्ण है।

- सीमिति नजीी पूंजी वाली परयोजनाएँ, जैसे क्वितरिति नवीकरणीय ऊर्जा और MSME के लयि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण हेतु पर्याप्त धन आकषति करने में चुनौतयों का सामना करना पड़ सकता है।

■ **उपयुक्त परयोजनाओं की उपलब्धता:**

- पात्र हरति परयोजनाओं की पाइपलाइन को सुरकषति करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, वशिष रूप से **अतटीय पवन ग्रडि पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन** और **इलेक्टरिक वाहन (Electric Vehicles- EVs)** जैसे कषेत्रों में।
 - सरकार को नविश के अवसरों के नरितर प्रवाह को सुनश्चिति करने के लयि ऐसी परयोजनाओं के वकिस को सक्रयि रूप से **प्रोत्साहति** करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- ग्रीन बॉण्ड जारी करने में **पारदर्शति बढ़ाना** और मौजूदा चुनौतयों का समाधान करना।
 - हरति परयोजनाओं में नविश के लाभों को बढ़ावा देने के लयि वशिष जागरूकता कार्यक्रम लागू करना।
- नजीी नविशकों के लयि अनुकूल वातावरण सुनश्चिति कर **कानूनी, डफिॉल्ट, तरलता और अन्य जोखमिों** को कम करना।
 - नविशकों का वशिवास बढ़ाने के लयि डफिॉल्टों के संबंध में मज़बूत कानूनी ढाँचे को लागू करना।
- घरेलू मांग को प्रोत्साहति करने के लयि **हरति पूंजी पूल** की स्थापना को प्राथमकता देना।
- हरति परयोजनाओं को संस्थागत नविशकों के पोर्टफोलयिों में एकीकृत करना, जसिमें संभावति रूप से **भारतीय बीमा नयामक और वकिस प्राधकिरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India - IRDAI)** जैसे भारतीय संस्थान शामिल हों।

?????? ???? ?????:

प्रश्न. हरति परयोजनाओं में नविश को बढ़ावा देने और भारत के ग्रीन बॉण्ड बाज़ार के वकिस को प्रोत्साहति करने के लयि आवश्यक नीतगित उपायों का आकलन कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. भारतीय सरकारी बॉण्ड प्रतफिल नमिनलखिति में से कसिसे/कनिसे प्रभावति होता है/होते हैं?

- यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रज़िर्व की कार्रवाई
- भारतीय रज़िर्व बैंक की कार्रवाई
- मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि बियाज दर

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- केवल 1 और 2
- केवल 2
- केवल 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????

प्रश्न: नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के वर्ल्ड लीडर्स समटि में शुरू की गई ग्रीन ग्रडि पहल के उद्देश्य की व्याख्या कीजयि। यह वधिार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में कब लाया गया था? (2021)

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम

प्रलिमिस के लयि:

मेन्स के लिये:

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत कवर की गई गतिविधियाँ, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम से संबंधित चर्चाएँ।

[स्रोत: द हद्दि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय \(MoEFCC\)](#) ने स्पष्ट किया है कि [ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम \(GCP\)](#) के तहत केवल वृक्षारोपण के बजाय [पारस्थितिकी तंत्र को बहाल करने](#) को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है?

परिचय:

- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) एक अभिनव बाजार-आधारित तंत्र है, जिसमें व्यक्तियों, समुदायों, नज्दी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में [प्रधानमंत्री](#) द्वारा घोषित 'LIFE' पहल के हिस्से के रूप में एक स्थायी जीवनशैली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

कवर की गई गतिविधियाँ: ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से आठ प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं:

- वृक्षारोपण:** हरित आवरण को बढ़ाने और [वनाचछादन](#) से निपटने के लिये पेड़ लगाना।
- जल प्रबंधन:** जल संसाधनों के कुशलतापूर्वक प्रबंधन और संरक्षण के लिये रणनीतियों को लागू करना।
- सतत कृषि:** पर्यावरण-अनुकूल और [सतत कृषि](#) प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- अपशिष्ट प्रबंधन:** पर्यावरण [प्रदूषण](#) को कम करने के लिये प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करना।
- वायु प्रदूषण में कमी:** पहल का उद्देश्य [वायु प्रदूषण](#) को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
- मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापना:** पारस्थितिकी संतुलन हेतु [मैंग्रोव](#) पारस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और पुनर्स्थापना।

शासन एवं प्रशासन:

- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के परिचालन ढाँचे में एक ऐसी प्रक्रिया शामिल है, जहाँ व्यक्तियों और नगियों दोनों को 'निम्नीकृत' समझे जाने वाले वनों की बहाली के प्रयासों में वित्तीय रूप से योगदान करने का अवसर दिया जाता है।
 - इसे पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र इकाई, [भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद \(ICFRE\)](#) के अनुप्रयोगों के माध्यम से सुवर्धित बनाया गया है।
 - ICFRE वन बहाली के लिये निर्देशित [वित्तीय योगदान](#) की देख-रेख हेतु ज़िम्मेदार है, जिससे बाद में संबंधित राज्य वन विभागों द्वारा निष्पादित किया जाता है।
- वनीकरण प्रयासों के बाद **दो वर्ष** की अवधि के पश्चात् ICFRE लगाए गए पेड़ों का [मूल्यांकन](#) करता है।
 - सफल मूल्यांकन पर प्रत्येक पेड़ को एक 'ग्रीन क्रेडिट' के बराबर मूल्य दिया जाता है। इन अर्जित ग्रीन क्रेडिट का उपयोग फंडिंग ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा कुछ तरीकों से किया जा सकता है:
 - सबसे पहले ये उन संगठनों के लिये एक [अनुपालन तंत्र](#) के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिन्हें [वन कानूनों](#) द्वारा वनीकरण के लिये भूमिका एक तुलनीय क्षेत्र प्रदान करके गैर-वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के अपयोजन को ऑफसेट करने के लिये अनिवार्य किया गया है।
 - वैकल्पिक रूप से इन क्रेडिट को [पर्यावरण, सामाजिक और शासन \(ESG\)](#) मानकों के पालन की रिपोर्ट करने या [कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व \(CSR\)](#) के दायित्वों को पूरा करने के लिये एक मीट्रिक के रूप में नियोजित किया जा सकता है।

ग्रीन क्रेडिट से प्राप्त आय एवं गणना: ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने के लिये प्रतिभागियों को एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से अपनी पर्यावरणीय गतिविधियों को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है।

- इसके बाद एक [नामति एजेंसी](#) इस परिचालन का सत्यापन करेगी। इस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासक आवेदक को [ग्रीन क्रेडिट प्रमाणपत्र](#) प्रदान करेगा।
- ग्रीन क्रेडिट की गणना वांछित पर्यावरणीय परिणामों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक संसाधन आवश्यकताओं, पैमाने, दायरे, आकार के साथ अन्य प्रासंगिक मापदंडों जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है।

ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री तथा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म: इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक [ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री](#) की स्थापना करना है, जो अर्जित क्रेडिट को ट्रेड एवं प्रबंधित करने में सहायता प्रदान करेगा।

- इसके अतिरिक्त प्रशासक घरेलू बाजार में ग्रीन क्रेडिट्स के व्यापार को सुनिश्चित करने के लिये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण करेगा और उसे बनाए रखेगा।

महत्त्व:

- भारत की पर्यावरण संरक्षित नीतियाँ:** भारत की पर्यावरण नीतियाँ, जैसे [पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986](#) एवं [राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006](#) पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार के लिये एक रूपरेखा प्रदान करती हैं।
 - GCP के साथ-साथ इन नीतियों का उद्देश्य वनों, वन्य जीवन एवं समग्र प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है।
- भारत के जलवायु उद्देश्यों के अनुरूप: [GCP वैश्विक दायित्वों को बनाए रखने के भारत के प्रयासों का एक उदाहरण है, जो](#)

कॉप26 पर सहमत के अनुरूप है।

- यह **ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022** द्वारा शुरू की गई **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना** का पूरक है, और साथ ही सतत प्रथाओं की एक शृंखला को शामिल करने हेतु CO2 कटौती से परे व्यापार योग्य क्रेडिट के दायरे को भी व्यापक बनाता है।
- अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का पूरक: GCP **संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र बहाली दशक (वर्ष 2021-2030)** के अनुरूप है, जो बहाली गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर देता है।
 - इस संबंध में भारत के दृष्टिकोण में बहाली प्रक्रिया में सभी हितधारकों को शामिल करना तथा **पारंपरिक ज्ञान एवं संरक्षण का लाभ** प्राप्त करना शामिल है।

क्या ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कार्बन क्रेडिट को भी कवर करता है?

- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, 2023** के तहत प्रदान किये गए **कार्बन क्रेडिट** से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, जो वर्ष 2001 के **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम** द्वारा शासित होता है।
 - **कार्बन क्रेडिट**, जिसे कार्बन ऑफसेट के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे परमिट होते हैं जो **मालिक को एक नश्वरिता मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करने की अनुमति** देते हैं।
 - एक क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों के बराबर उत्सर्जन की अनुमति देता है।
- ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने वाली पर्यावरणीय गतिविधियों में जलवायु सह-लाभ हो सकते हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना या हटाना, जिससे संभावित रूप से ग्रीन क्रेडिट के अलावा कार्बन क्रेडिट का अधिग्रहण हो सकता है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के साथ क्या चुनौतियाँ हैं?

- **वन पारिस्थितिकी पर प्रभाव:** आलोचकों ने चिंता जताई है कि ग्रीन क्रेडिट नियम **वन पारिस्थितिकी के लिये हानिकारक हो सकते हैं**। ये नियम राज्य वन विभागों को ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिये वृक्षारोपण के लिये **'नमिनीकृत भूमि पारसल'** की पहचान करने का निर्देश देते हैं।
 - हालाँकि इस दृष्टिकोण की अवैज्ञानिक और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिये संभावित विनाशकारी के रूप में आलोचना की गई है।
 - झाड़ियों और खुले वनों के लिये 'नमिनीकृत' जैसे शब्दों का उपयोग अस्पष्ट माना जाता है और इससे औद्योगिक पैमाने पर वृक्षारोपण हो सकता है जो मृदा की गुणवत्ता को अपरिवर्तनीय रूप से बदल सकता है, **स्थानीय जैवविविधता** को प्रतस्थापित कर सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को नुकसान पहुँचा सकता है।
- **हरति रेगिस्तानों का नरिमाण:** ऐसी आशंका है कि ग्रीन क्रेडिट नियमों से **'हरति रेगिस्तानों'** का नरिमाण हो सकता है।
 - यह शब्द उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहाँ मूल परदृश्य की पारिस्थितिकी जटिलताओं और जैवविविधता पर विचार किये बिना वृक्षारोपण किये जाते हैं।
 - इस तरह के वृक्षारोपण **पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बाधित कर सकते हैं** और प्राकृतिक वन की तरह विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का समर्थन नहीं करते हैं।
 - वनों को केवल पेड़ों की गिनती के आधार पर मापने के लिये नियमों की आलोचना की गई है, जो एक कार्यात्मक वन और उससे जुड़े वन्यजीवों की बहुस्तरीय संरचना को नज़रअंदाज़ करता है।
- **पद्धति संबंधी चिंताएँ:** ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की पद्धति, विशेष रूप से वृक्षारोपण के माध्यम से इसकी पर्यावरणीय सुदृढ़ता पर प्रश्न उठाया गया है।
 - आलोचकों को चिंता है कि यह कार्यप्रणाली संभावित नियामक कमियों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती है और इससे पर्यावरणीय गतिविधि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **'बंजर भूमि' पर दबाव:** 'अपघटित भूमिखंडों' पर पेड़ लगाने पर जोर उन क्षेत्रों पर दबाव डालता है जिनमें अक्सर **बंजर भूमि** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण हैं।
 - ये क्षेत्र **घास के मैदानों** की तरह कार्बन पृथक्करण और अद्वितीय जैवविविधता का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों में वनीकरण पर जोर देने से स्थानिक प्रजातियों तथा पारिस्थितिकी कार्यों का नुकसान हो सकता है।

आगे की राह

- **जैवविविधता आधारित वनीकरण: पेड़ों की गणना** से हटकर जैवविविधता-आधारित वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, जहाँ लक्ष्य केवल बड़ी संख्या में पेड़ लगाने के बजाय विविध मूल प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना है।
 - यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि नव स्थापित वृक्षारोपण प्राकृतिक वनों की नकल करते हैं और वन्यजीवों की एक वसित शृंखला का समर्थन करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त वास्तव में नमिनीकृत भूमि की पहचान करने के लिये **सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग)** और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करना, जिससे मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाने का जोखिम कम हो सके।
- **पारदर्शिता और ज्ञान साझा करना:** कार्यक्रम दशा-नरिदेशों के अंतर्गत **"अपघटित भूमि (Degraded land)"** और **"बंजर भूमि (Wasteland)"** जैसे शब्दों की स्पष्ट और पारदर्शी परिभाषा सुनिश्चित करना।
 - पर्यावरण की दृष्टि से **जम्मेदार प्रथाओं** को सुनिश्चित करने के लिये वन विभाग, व्यवसायों और गैर सरकारी संगठनों सहित हितधारकों के बीच ज्ञान साझा करने तथा क्षमता नरिमाण को बढ़ावा देना।

दृष्टि भिन्न प्रश्न:

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिये। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसे कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच प्रभावी ढंग से संतुलन बनाते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. कार्बन क्रेडिट की अवधारणा नमिनलखिति में से किससे उत्पन्न हुई है? (2009)

- (a) पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो डी जनेरियो
- (b) क्योटो प्रोटोकॉल
- (c) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
- (d) जी-8 शिखर सम्मेलन, हेलीजेंडम

उत्तर: (b)

प्रश्न. "कार्बन क्रेडिट" के संबंध में नमिनलखिति कथनों में से कौन सा सही नहीं है? (2011)

- (a) कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी।
- (b) कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान किया जाता है जो ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं।
- (c) कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है।
- (d) कार्बन क्रेडिट का क्रय-विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय-समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. क्या यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के अधीन स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास यांत्रिकित्वों का अनुसरण जारी रखा जाना चाहिये, यद्यपि कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट आई है? आर्थिक संवृद्धि के लिये भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की दृष्टि से चर्चा कीजिये। (2014)

प्रश्न. ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) पर चर्चा कीजिये और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिये। क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिये नयितरण उपायों को समझाइये। (2022)